न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमाः– अपील / 04 / 2017

1. मनभरी पुत्री लिछमण पत्नी बेगाराम जाति जाट निवासी जोगियों का बास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर हाल ससुराल तारपुरा तहसील व जिला सीकर

–अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत बिड़ोदी बड़ी, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर जरिये सरपंच
2. घासीराम पुत्र लिछमा
3. मांगीलाल पुत्र लिछमा
   समस्त जाति जाट निवासीगण जोगियों का बास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
4. गुलाबी पुत्री लिछमण पत्नी हरलाल जाति जाट निवासी जोगियों का बास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर हाल ससुराल गोठड़ा भूकरान तहसील धोद जिला सीकर
5. परमेश्वरी पुत्री लिछमण पत्नी धूकलराम जाति जाट निवासी जोगियों का बास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर हाल ससुराल लक्ष्मणा का बास तहसील व जिला सीकर

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं 160 दिनांकित 25.02.1996
द्वारा ग्राम पंचायत बिड़ोदी बड़ी, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

–:निर्णय:– दिनांक – 11.06.2018

अपीलान्ट कि ओर से प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है अपीलान्ट की ओ से प्रस्तुत की जा रही अपील के संक्षेप में तथ्य इय प्रकार ये है कि–अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या–2 ता 5 के पिता स्व. लिछमण पुत्र नन्दा के कब्जे काश्त व खातेदारी अधिकार में अनके हिस्सा की भूमि खसरा नम्बर 30 रकबा 16.26 हैक्टेयर में 3.32 हैक्टर (वर्तमान खसरा नम्बर 52 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 53 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 54 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 55 रकबा 16.14 हैक्टेयर,) खसरा नम्बर 126 रकबा 3.77 हैक्टेयर में 0.94 हैक्टर व खसरा नम्बर 74 रकबा 1.88 हैक्टेयर मे से 0.11 हैक्टर भूमि ग्राम जोगियों का बास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में अवस्थित रही है जो उनकी मृत्यु पर इनके दोनो पुत्रों एवं तीनो पुत्रियों अर्थात अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या–2 ता 5 को बराबर 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 हिस्सा में प्राप्त हो गई तथा इसी हिस्से अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। किन्तु स्व. लिछमण की मृत्यु के बाद अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 के भाई रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने विरासती नामान्तरण नम्बर 160 दिनांक 25.02.1996 को बाला बाला व साजशी रूप से रेरूपोडेन्ट नम्बर 1 से साजिश कर अकेले रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम खुलवा कर स्वीकार करवा लिया तथा अपीलान्ट व रेस्पोडैन्ट संख्या 4 व 5 का नाम नामान्तरण में अंकित नही होने दिया। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 अनपढ महिलायें है तथा इन्होने कभी भी अपने भाईयो कमशः– 2 व 3 पर अविश्वास नही किया कि इन्होन विरासती नामान्तरकरण अकेले के नाम से खुलवा लिया। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट 4 व 5 अपनी ससुरालोसे आकर स्व. लिछमण की विरासत में प्राप्त अपने अपने हिस्सा 1/5, 1/5, 1/5, की काश्त करती रही तथा विरासत में कानूनन हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–8 के अनुसार इनको हिस्सा प्राप्त हुआ है किन्तु हाल ही में अपीलान्ट अपनी ससुराल से अपने पीहर गई तब रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 नें अपीलान्ट को काश्त नही करने देगें क्योकि राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 व 5 का नाम नही है तथा विरासती नामान्तरकरण हमारे अकेलो के नाम खुला हुआ है। इस पर अपीलान्ट ने भी पुराना रिकार्ड भू–अभिलेख सीकर से निकलवाया तब नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से साज करके केवल अपने नाम से खुलवाया है जिसके विरूद्ध अपील निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत हैः–

यह कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत का चुनौतिग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 160 खिलाफ पत्रावलीर व विरूद्ध कानून है इसलियें प्रथम दृष्टया ही निरस्त होने योग्य है।

यह कि स्व. लिछमण पुत्र नन्दा की मृत्यु के समय उसके प्रथम श्रैणी के 5 वारिस मौजूद थे जो कमशः मनभरी(अपीलान्ट) गुलाबी व परमेश्वरी (रेस्पोडैन्ट नम्बर 4 व 5) पुत्रियां व धासीराम व मांगीलाल (रेस्पोडैन्ट नम्बर 2 व 3) पुत्रगण है। स्व लिछमा की पत्नी लच्छी अर्थात अपीलान्ट व रेस्पोडैन्ट नम्बर 2 ता 5 की माता का देहान्त स्व लिछमण से पूर्व ही हो चुका था। यह कि स्व. लिछमण की मृत्यु के बाद उसका विरासती नामान्तरकरण कानूनन उसके प्रथम श्रेणी के उक्त पांचों वारिसों अर्थात्र अपिलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 ता 5 के नाम खुलना चाहिये

Web Copy Not Official

था किन्तु रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 ने ग्राम पंचायत व राजस्व कर्मियों से साज करके विरासती नामान्तरकरण संख्या 160 केवल अपने दोनो के नाम ही खुवाकर स्वीकार करवा लिया जबकि स्व लिछमण की तीनों पुत्रियों अर्थात अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 भी प्रथम श्रेणी की वारिस मौजूद थी तथा नामान्तरकरण में इनका भी नाम अंकित होना आवश्यक था। इस प्रकार स्व लिछमण की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 160 इसके सभी वारिसों के नाम स्वीकार न होने के कारण चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण निरस्त होने योग्य है।

यह कि चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण स्वीकार करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ग्राम पंचायत ने मृत खातेदार लिछमण के वारिसाों की सही जांच नही कि तथा बिना जांच के ही नामान्तरकरण स्वीकार कर लिया। ग्राम पंचायत ने स्व लिछमण के वारिसान उसकी पुत्रियों अर्थात अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सख्यां 4 व 5 को कोई नोटिस जारी नही कियाा तथा बिना सुनवाई का मौका दिये ही बाला बाला व साजशी रूप से नामान्तरकरण स्वीकार कर लिया जो न्याय के प्रसकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत हीने के कारण निरस्त योग्य है।

यह कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 व 5 मृत खातेदार लिछमण की जायन्दा लड़कियां है तथा प्रथम श्रैणी की वारिस होने के कारण अपने नाम से नामान्तरकरण खुलवाने की वैध अधिकारी है।

यह कि चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण में अपीलान्ट को पक्षकार नही बनाया गया था इसलिये धारा 96 सी पी सी के तहत अलग से आवेदन अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर अपील पेश की जा रही है। यह कि अपील माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार मे है।

यह कि चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण की जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज न होने की बात कहने पर चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण की नकल लेने का आवेदन दिनांक 27.03.2017 को प्रस्तुत करने तथा दिनांक 31.03.2017 करे नकल मिलने पर पहली जानकारी के हिसाब से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है फिर भी आवेदन अर्न्तगत धारा–5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत किया जाकर अपील प्रस्तुत की जा रही है। यह कि अपील उचित कोर्ट फिस पर अन्दर मियाद सादर प्रस्तुत है। यह कि अन्य तर्क वरवक्त बहस अर्ज किये जावेंगें। अपीलांट कि ओर से अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 भारतीय अवधि अधिनियम भी पेश किया।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत बिडोदी बड़ी द्वारा भरे गये चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 160 दिनांक 25.02.1996 को निरस्त फरमाया जावें तथा विरासती नामान्तरकरण अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 व 5 के नाम से भी खोला जाकर स्वीकार किया जावें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरीये नोटिस रेस्पोंडेंटस को तलब किया गया। इसी दौरान पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प बीदासर में पेश हुई। रेस्पोंडेंट्स सं. 1 ता 3 पर विधिवत तामील होने पर अनुपस्थित रहने पर उक्त के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। शेष रेस्पोंडेंटस सं. 4 व 5 की तलबी शेष है। चूंकि दोनों पक्षों के पक्ष में ही जांच कर नियमानुसार लाभ दिया जाना है। अतः उक्त शेष रेस्पोंडेंटस सं. 4 व 5 की तलबी की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा अभिलेखों का अवलोकन किया। कैम्प स्थल पर अपील बाबत मज्मे आम से पूछताछ की गई। उपरोक्त समग्र अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण अपील का है। जो कि न्यायालय में वर्ष 2017 से लम्बित है। प्रकरण में उल्लेखित नामान्तकरण को ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी विधिक प्रकिया अपनाये बिना पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये ही तस्दीक कर दिया जो कि प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। जो कि प्रथत दृष्ट्या विधि विरूद्ध प्रतीत होता है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बिडोदी बड़ी द्वारा भरे गये नामान्तरकरण संख्या 160 दिनांक 25.02.1996 को अपास्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उक्त वर्णित आराजियात में स्व. लिछमण के विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की प्रकिया को अंजाम दें। पालनार्थ तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2018 को केम्प कोर्ट बीदासर मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

Web Copy - Not Official